## टी०ए० मिस केस सं०–27 / 2017–18

| आदेश की तिथि | आदेश | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|---|---|---|
| 20.07.2017 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन की मांग **दिनांक 20.09.2017** तक करें।<br>अभिलेख **दिनांक 20.09.2017** को उपस्थापित करें।<br>20.7.17<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर | |
| 20.09.2017 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 620 (बी०) दिनांक 20.07.2017 जो इस कार्यालय में 29.09.2017 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री / श्रीमती **साकारी सोय** पिता / पति **स्व0 बुधराम सोय** ग्राम **–कोलचकडा** पोस्ट – **चक्रधरपुर** थाना – **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । खतियानी जमीन मौजा–**नगरपालिका वार्ड नम्बर 05,चक्रधरपुर** थाना नं० **–68**, खाता नं०– **149**, प्लॉट नं०–**88,07** रकवा क्रमशः **–0.21,0.12 ए0, कुल रकवा–0.33 ए0** क्रेता श्री / श्रीमती–**नागी बोदरा, पिता / पति–प्रधान बोदरा**, ग्राम **–उलीबेडा**, पोस्ट– **चक्रधरपुर** थाना – **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।<br>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक / आवेदिका–**साकारी सोय**, पिता / पति–**स्व0 बुधराम सोय**, के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **18,00,000 / –(अठराह लाख)** रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में **साकारी हो**, पिता **लोस करिया हो** के नाम पर दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध – **दादा–पौत्र** का है। जमाबन्दी पंजी में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>बिक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना– **चक्रधरपुर** के निवासी है तथा **"हो" (अ0ज0जाति०)** समुदाय के सदस्य है।<br>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु लगभग **2..39.199 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अचंल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा उक्त भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक / आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री / श्रीमती–**नागी बोदरा, पिता / पति–प्रधान बोदरा**, ग्राम **–उलीबेडा**, पोस्ट– **चक्रधरपुर** थाना – **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है।<br>लेखापित<br>20.9.17<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर<br>20.9.17<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर | |



Corres Letter.